भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5910
जिसका उत्तर मंगलवार 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

लाभ और घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5910. डॉ बंशीलाल महतो:
श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का ब्यौरा क्या है और उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार और राज्य-वार कितना लाभ और हानि हुई;
(ख) क्या सरकार ने हानि में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार करने और उन्हें संवहनीय बनाने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा इस हेतु कार्यान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम कौन-से हैं;
(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित, उपयोग में लाई गई और उपयोग में नहीं लाई गई निधि का कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): उनके लाभ और हानि तथा अन्य संबद्ध ब्यौरों के साथ भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) के ब्यौरे लोक उद्यम सर्वेक्षण 2016-17 में उपलब्ध हैं जिसे पहले ही दिनांक 13 मार्च, 2018 को संसद में रख दिया गया है।

(ख) से (घ): भारी उद्योग विभाग घाटे में चल रहे प्रत्येक सीपीएसईज का मूल्यांकन करता है जिसमें आवधिक मूल्यांकन के बाद स्टेकहोल्डरों के परामर्श से प्रत्येक सीपीएसईज के कार्य निष्पादन की उपयुक्त कार्रवाई निश्चित की जाती है। गंभीर रूप से रुग्ण सीपीएसईज का विनिवेश किया जाता है अथवा कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) और देय मुआवजे का भुगतान करने के बाद बंद कर दिया जाता है।

इस समय, भारी उद्योग विभाग इन सीपीएसईज के लिए किसी प्रमुख कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है।

(ङ): वे सीपीएसईज जो देश में विनिर्माण अथवा रणनीतिक क्षेत्र में शामिल हैं, सरकार द्वारा उनकी विनिर्माण सुविधाओं के उन्नयन/आधुनिकीकरण की वित्तीय रूप से सहायता की जाती है, क्योंकि इससे कंपनियों की व्यापार संभाव्यता और वृद्धि के इष्टतम विकास हेतु निधियां/प्रौद्योगिकी आदि प्राप्त होंगी जिससे आगे और अधिक रोजगारों के अवसरों का सृजन होगा। इससे सरकार के सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए और संसाधन प्राप्त होंगे और इससे सार्वजनिक लाभ होगा।

****